HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 9989/2026
CNR: RJHC020460962026 | URN: CW / 22246U / 2026

Narendra Choudhary S/o Shyoji Lal, Aged About 20 Years, R/o Village Naner, Tehsil Piploo, District Tonk, Rajasthan 304504.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Education Department, Govt. Secretariat, Jaipur, Rajasthan- 302005.
2. Rajasthan Board Of Secondary Education, Ajmer, Through Its Secretary, Jaipur Road, Ajmer, Rajasthan. 305001.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek Bhardwaj Mr. Manish Kumar Sharma Mr. Kailash Chand Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. M.S. Baig with Mr. Govind Gupta

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

06/08/2026

याचिकाकार की ओर से यह याचिका अपनी दसवीं की अंकतालिका में जन्म तिथि को संशोधित करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकार ने इस हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (अयाची) को एक अभ्यावेदन परिशिष्ट–4 दस्तावेजों के साथ दे रखा है, परंतु इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश अथवा निर्णय बोर्ड द्वारा नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि उनकी यह याचिका इस न्यायालय की खण्डपीठ के प्रकरण विशेष अपील (रिट) संख्या 713/2026 सैकण्डरी एजुकेशन बोर्ड–बनाम–अन्नू में पारित आदेश दिनांक 08.07.2026 के अनुसार ही निस्तारित कर दी जावे क्योंकि उक्त प्रकरण एवं इस प्रकरण के तथ्य समरूप हैं और इसी अनुरूप याचिका में आदेश पारित करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अयाची की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बेग उपस्थित हैं, जिन्हें इस प्रकार का आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

ऐसी स्थिति में यह याचिका निम्न निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है कि–

1. अयाची बोर्ड याचिकाकार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन परिशिष्ट–4 को आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर–भीतर निस्तारित करें।
2. यदि अयाची बोर्ड याचिकाकार की जन्मतिथि में परिवर्तन करना उपयुक्त समझता है तो उस अनुरूप कार्यवाही करे परंतु यदि अभ्यावेदन स्वीकारे जाने योग्य नहीं है तो इस सम्बन्ध में आदेश पारित कर याचिकाकार को सूचित करे।
3. बोर्ड द्वारा जन्मतिथि में परिवर्तन से इन्कारी की स्थिति में याचिकाकार विधि अनुसार सिविल वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

तदनुसार स्थगन एवं अन्य प्रार्थना–पत्र यदि कोई हों तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

13/AJAY KUMAR SINGHAL